उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग – 5
संख्या – 2448/14-5-2002-109/95
लखनऊ : दिनांक : 28 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या XVI सन् 1927) की धारा 28 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 1997 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(एक) यह नियमावली " उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002" कही जायेगी ।

(दो) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषायें

2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में, –

(एक) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 से है;

(दो) " वार्षिक क्रियान्वयन योजना" का तात्पर्य वार्षिक रूप से चलाये जाने वाले, माइक्रोप्लान के भौतिक और वित्तीय क्रियाकलापों के विवरण से है;

(तीन) "प्रभागीय समिति" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 11 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये गठित समिति से है ;

(चार) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से है ;

(पाँच) "वन उपयोगकर्ता समूह" का तात्पर्य किसी ग्राम समुदाय अथवा ग्राम/ग्रामों अथवा 'पुरवा'/'पुरवों' के समूह में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह से है जिनका इस नियमावली के नियम 4 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिये

गठन किया गया है ;

(छः) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(सात) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(आठ) "ग्राम सभा", "ग्राम पंचायत", "प्रधान", "पंचायत क्षेत्र", "ग्राम" और "क्षेत्र पंचायत", "जिला पंचायत" के कमशः वही अर्थ होंगें, जो उनके लिये समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दिये गये है ;

(नौ)"संयुक्त वन प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य ग्राम वन के प्रबन्ध से सम्बन्धित कियाकलापों के लिये नियम 5 के अधीन गठित किसी समिति से है;

(दस) "संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का सदस्य– सचिव" का तात्पर्य सम्बन्धित वन रेंज अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे वनविद या वनरक्षक से है जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत ग्राम वन पड़ता हो;

(ग्यारह) "माइक्रोप्लान" का तात्पर्य किसी ग्राम वन के प्रबन्ध की योजना से है;

(बारह) "रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 9 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित कियाकलापों के लिये गठित समिति से है;

(तेरह) "अधिकार धारक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे कार्ययोजना / स्कीम में उल्लिखित वन में अधिकार प्रदान किये गये हों;

(चौदह) "बीज धन" का तात्पर्य संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की उस आय से है, जो सावधि जमा में रखी जा सकती है और भविष्य में वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों के कल्याण के लिये आय बढ़ाने वाले कियाकलापों के लिये उपयोग में लायी जा सकती है;

(पन्द्रह) "राज्य स्तरीय संचालन समिति" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 13 के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित कियाकलापों के लिये गठित समिति से है;

(सोलह) "ग्राम वन" का तात्पर्य ऐसी वन भूमि–से–है, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 में यथा परिभाषित है;

(सत्रह) "कार्ययोजना/स्कीम" का तात्पर्य भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सम्बन्धित वन प्रभाग की किसी प्रबन्ध योजना से है;

ग्राम वन का संयुक्त प्रबन्ध

3. ग्राम वन का प्रबन्ध वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति और वन विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा जो, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों पर प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट किये जायें, संयुक्त रूप से किया जायेगा। अधिकार धारकों के अधिकार यथावत बने रहेंगे ।

वन उपयोगकर्ता समूह का गठन

4. (1) वन रेंज अधिकारी, वन के निकट, यथा स्थिति, गाँव/गाँवों या पुरवा/पुरवों के वयस्क निवासियों को किसी सुविधाजनक स्थान एवं समय पर न्यूनतम् दस दिन की अग्रिम सूचना देकर एकत्रित होने के लिये बुलायेंगें ।

यदि निर्धारित समय और दिनांक पर आधे से कम परिवार ही एकत्रित होते हैं तो बैठक किसी आगामी दिनांक तक स्थगित कर दी जायेगी। यदि किसी कारणवश, लगातार दो बैठकों में परिवार के आधे सदस्य एकत्रित नहीं होते हैं, तो विशेष परिस्थिति के अधीन वन संरक्षक बैठक को मान्यता प्रदान कर सकते हैं ।

(2) बैठक में ऐसे वयस्क व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी जो मूल रूप से अपने जीवन निर्वाह और आजीविका के लिये ग्राम वन पर आश्रित हैं, वनों के प्रबन्ध में रुचि रखते हैं और वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्य बनने के इच्छुक है । उक्त सूची में एक परिवार से एक से अधिक सदस्य को सम्मिलित नहीं किया जायेगा । उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्ति वन उपयोगकर्ता समूह का संयुक्त रूप से गठन करेंगें ।

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम/पुरवा/पुरवों के समूह के कुल परिवार का कम से कम 50 प्रतिशत् का उक्त वन उपयोगकर्ता समूह में प्रतिनिधित्व होगा । विशेष परिस्थिति में सम्बन्धित वन संरक्षक इस उपबन्ध को शिथिल कर सकते हैं ।

वन रेंज अधिकारी यथासम्भव यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास करेगा कि वन उपयोगकर्ता समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्गों और ग्राम वन के अधिकारधारकों के समस्त परिवारों का प्रतिनिधित्व हो और भाग लेने वाले परिवारों के एक तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाय ।

(3) वन उपयोगकर्ता समूह इस नियमावली में यथा परिकल्पित अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रत्येक छः माह के पश्चात् बैठक करेगा और न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी ।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का गठन और कार्यकाल

5.(1) ग्राम वन के प्रबन्ध के लिये वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से एक संयुक्त वन प्रबन्ध समिति होगी । संयुक्त वन प्रबन्ध समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –

(एक) सम्बन्धित ग्राम का ग्राम प्रधान – पदेन संरक्षक

(दो) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित सम्बन्धित ग्राम/ग्रामा या पुरवा/पुरवों का एक प्रतिनिधि – अध्यक्ष

(तीन) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में से सम्यक रूप से निर्वाचित दो महिला प्रतिनिधि – सदस्य

(चार) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में सम्यक रूप से निर्वाचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति से एक प्रतिनिधि – सदस्य

(पाँच) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में सम्यक रूप से निर्वाचित पिछड़े वर्ग का एक प्रतिनिधि – सदस्य

(छः) वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा आपस में से सम्यक रूप से निर्वाचित दो ऐसे प्रतिनिधि जो वनोद्योग सम्बन्धी कार्यों में गहरी रुचि लेते हों – सदस्य

(सात) सम्बन्धित वन रेंज अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक वनविद/ वन रक्षक जिसके कार्य क्षेत्र में उक्त ग्राम वन आता हो – सदस्य सचिव

(2) समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा । तत्पश्चात् वह कार्य करना बन्द कर देगी और नव गठित समिति कार्य करना प्रारम्भ करेगी । गठन की प्रकिया पूर्ववर्ती समिति की कार्यावधि की समाप्ति से कम से कम एक माह पूर्व आरम्भ की जायेगी ।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के कृत्य और कर्तव्य

6. वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित कृत्य एवं कर्तव्य ~~होंगे~~:–

(1). (एक) ग्राम वन के लिये माइक्रोप्लान और वार्षिक कार्यान्वयन

योजना तैयार करना तथा उसे अनुमोदन के लिये वन उपयोगकर्ता समूह के समक्ष रखना ;

(दो) अनुमोदित माइक्रोप्लान को कियान्वित करना और वनोद्योग सम्बन्धी कार्यों का यथा समय निष्पादन सुनिश्चित करना ;

(तीन) वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जन्तुओं और पर्यावरण व्यवस्था को नष्ट होने से रोकना;

(चार)यह सुनिश्चित करना कि ग्राम वन में कोई अतिकमण न हो और किसी वन भूमि का प्रयोग अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में न किया जाय ;

(पॉच) वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना ;

(छः) सीमा स्तम्भों का संरक्षण और अनुरक्षण करना;

(सात) वन उपज का उपयोग वन उपयोगकर्ता समूह के लाभ के लिये साम्योचित रीति से करना;

(आठ) ग्राम वन और उस पर वृक्षारोपण को वन प्रबन्ध योजना में यथा परिकल्पित अवैध पातन, छटाई, अग्नि तथा अन्य प्रकार की क्षति से संरक्षा करना ;

(नौ) केवल उन्हीं वृक्षों को गिराना जो वन संवर्धन के हित में उपलब्ध हों और प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो;

(दस) किसी विशिष्ट सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी गतिविधियों से जो वन के हित के विपरीत और अहितकारी हो, सम्बन्धित रेंज अधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी को अवगत कराना ; और

(ग्यारह) ऐसे अन्य कृत्यों का जिनमें अभिलेखों, दस्तावेजों और आय– व्ययक के लेखे का अनुरक्षण भी सम्मिलित है, पालन ऐसी रीति से करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाय ।

(2). अध्यक्ष, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के नाम से बनी अध्यक्ष की मुहर का प्रयोग संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के अन्य दो सदस्यों की उपस्थिति में ही कर सकेगा, जो उनकी उपस्थिति के प्रमाण में हस्ताक्षर भी करेगा ।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की शक्तियाँ

7. वन उपयोगकर्ता समूह की ओर से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, ग्राम वन के संदर्भ में, निम्नलिखित शक्तियों का, जो उसे समनुदेशित हैं, प्रयोग कर सकेगी :

(एक) इस नियमावली के अधीन उठने वाले दावों के सम्बन्ध में वाद और कार्यवाहियाँ संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना ;

(दो) इस नियमावली के अधीन स्थानीय वन उपज का वास्तविक उपयोग करना और चराई या घास काटने या गिरे हुए ईंधन को एकत्र करने के लिये, यदि आवश्यक समझा जाय, तो, प्रभागीय वन अधिकारी के पूर्वानुमोदन से अनुज्ञा पत्र जारी करना और फीस वसूल करना ;

(तीन) ग्राम वन में पशुओं के प्रवेश और चरने को विनियमित करना ;

(चार) इस नियमावली के अधीन, तेंदू पत्ता से भिन्न गैर प्रकाष्ठ वन उपज को एकत्र, उपयोग और बिक्री करना ;

(पाँच) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की राय में ग्राम वन को अग्नि द्वारा या अन्यथा, कोई क्षति पहुँचाने का उत्तरदायी हो, ग्राम वन में सभी या किन्हीं विशेषाधिकारों से अपवर्जित करना ;

(छः) वन अपराधों को करने में प्रयुक्त सभी औजारों या हथियारों का अधिग्रहण करना ।

माइकोप्लान और वार्षिक क्रियान्वयन योजना तैयार करना

8. (1) वन कर्मचारियों की सहायता से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा ग्राम वन के प्रबन्ध और संरक्षण के लिये पाँच वर्ष की अवधि के लिये सम्बन्धित कार्ययोजना/स्कीम के अनुरूप एक माइकोप्लान तैयार किया जायेगा । माइकोप्लान प्रभागीय समिति द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने के पूर्व वन उपयोगकर्ता समूह द्वारा अनुमोदित किया जायेगा । संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में माइकोप्लान की समीक्षा की जायेगी और इसमें किसी भी संशोधन के लिये वन उपयोगकर्ता समूह का अनुमोदन और प्रभागीय समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

(2) स्वीकृत माइकोप्लान के आधार पर ग्राम वन के प्रबन्ध और विकास के लिये संयुक्त वन प्रबन्ध समिति इस नियमावली से

संलग्न प्रपत्र में, प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी और इसे रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत करेगी । रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति, वार्षिक क्रियान्वयन योजना को, प्रभागीय समिति के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी ।

रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति का गठन

9. (1). प्रत्येक रेंज में ग्राम वनों के प्रबन्ध के लिये रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति होगी । रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(एक) सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का प्रमुख
(रेंज में एक से अधिक क्षेत्र पंचायत होने की दशा में, उस क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, जिसकी अधिकारिता संबन्धित रेंज में बृहत्तम् हो) — पदेन संरक्षक

(दो) सम्बन्धित वन रेंज का वन रेंज अधिकारी — पदेन अध्यक्ष

(तीन) प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट वनविद/ उप रेंजर — सदस्य सचिव

(चार) गैर सरकारी संगठन के अभिप्रेरकों/अन्य गैर सरकारी संगठन के सदस्यों में से प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य — सदस्य

(पाँच) सम्बन्धित रेंज की ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों के प्रधानों में से पदेन संरक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य — सदस्य

(छः) सम्बन्धित रेंज की ग्राम पंचायतों की महिला प्रधानों में से पदेन संरक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य — सदस्य

(2). समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, तत्पश्चात् वह कार्य करना बन्द कर देगी और नव गठित समिति कार्य करना आरम्भ करेगी । गठन की प्रक्रिया, पूर्ववर्ती समिति की कार्यावधि की समाप्ति से कम से कम एक माह पूर्व आरम्भ की जायेगी ।

रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति का कृत्य

10. रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति :-

(एक) रेंज में ग्राम वन के लिये वार्षिक योजना का परीक्षण और समेकन करेगी ;

(दो) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कार्यों का अपने सदस्य सचिव द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण और सत्यापन करेगी ;

(तीन) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा बही और अन्य अभिलेखों का अपने अध्यक्ष या सदस्य सचिव के माध्यम से निरीक्षण करेगी ;

(चार) यह सुनिश्चित करेगी कि रेंज में समस्त संयुक्त वन प्रबन्ध समितियाँ उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन और अधिकारों का प्रयोग उचित और न्यायिक रूप से कर रही है । संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा किसी प्रकार की चूक होने की दशा में, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति तत्परता से हस्तक्षेप करेगी और मामले की रिपोर्ट प्रभागीय समिति को देगी ;

(पाँच) प्रभागीय समिति को बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ; और

(छः) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो प्रभागीय समिति द्वारा सौंपे जायें ।

प्रभागीय समिति का गठन

11. (1). प्रत्येक प्रभाग में ग्राम वनों के लिये एक प्रभागीय समिति होगी । प्रभागीय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) प्रभाग का प्रभागीय वन अधिकारी – अध्यक्ष

(दो) प्रभाग के निवासियों में से अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो वन उपयोगकर्ता समूह का सदस्य हो – सदस्य

(तीन) प्रभाग के निवासियों में से अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला, जो वन उपयोगकर्ता समूह का सदस्य हो – सदस्य

(चार) गैर–सरकारी संगठनों के सदस्यों में से प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति – सदस्य

(पाँच) प्रभाग के सहायक वन संरक्षक / उप प्रभागीय वन अधिकारी में से प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी – सदस्य सचिव

(2). समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, तत्पश्चात् वह कार्य करना बन्द कर देगी और नव गठित समिति कार्य करना आरम्भ कर देगी । गठन की प्रक्रिया, पूर्ववर्ती समिति की कार्यावधि की समाप्ति से कम से कम एक माह पूर्व आरम्भ की जायेगी ।

प्रभागीय समिति की शक्तियाँ और कृत्य

12. प्रभागीय समिति :–

(एक) ग्राम वनों के लिये माइक्रोप्लान और वार्षिक क्रियान्वयन योजना का परीक्षण करेगी और उन्हें स्वीकृत करेगी ;

(दो) संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों और रेंज स्तरीय प्रबन्ध समितियों के कार्यों का अनुश्रवण और मार्ग दर्शन करेगी ;

(तीन) यदि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का कोई क्रियाकलाप इस नियमावली के विपरीत हो, तो वन संरक्षक के अनुमोदन से उक्त समिति को भंग कर देगी ; और

(चार) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जाय ।

राज्य स्तरीय संचालन समिति

13. सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, राज्य में संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के कार्यों का अनुश्रवण करने के लिये एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन कर सकती है।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति और प्रभागीय समिति की बैठक

14. (1). संयुक्त वन प्रबन्ध समिति और रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार और प्रभागीय समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

(2). बैठक में भाग लेने के लिये गैर सरकारी सदस्यों को उनके निवास से बैठक स्थल तक आने-जाने के लिये केवल बस / द्वितीय श्रेणी रेलवे का किराया अनुमन्य होगा ।

(3). इस सम्बन्ध में होने वाला समस्त व्यय माइक्रोप्लान के बजट से उपगत किया जायेगा ।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति और प्रभागीय समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया

15. (1) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति प्रभागीय समिति के समक्ष आने वाले समस्त मामले उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चिय किये जायेंगे ।

(2) यथास्थिति, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति या प्रभागीय समिति के अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की बैठक के लिये कम से कम सात दिन तथा रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति और प्रभागीय समिति की बैठक के लिये पन्द्रह दिन की अग्रिम सूचना सम्बन्धित समिति के सदस्यों को दी जायेगी । अपवादिक मामलों में, किसी भी समय दो दिनों की अल्प सूचना देकर एक आपात बैठक बुलाई जा सकती है ।

(4) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों से होगी और रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति और प्रभागीय समिति के मामले में, गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से होगी ।

(5) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, रेंज स्तरीय प्रबन्ध समिति या प्रभागीय समिति के समस्त विनिश्चयों को इस प्रयोजन हेतु रखे गये एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा ।

निधियाँ

16. इस नियमावली के अधीन ग्राम वन के प्रबन्ध के लिये संयुक्त वन प्रबन्ध समिति निधियों की व्यवस्था करेगी । जहाँ तक सम्भव हो, निधियों की व्यवस्था सरकारी और गैर सरकारी श्रोतों से की जायेगी जिसके अन्तर्गत वन उपयोगकर्ता समूह, पुण्यार्थ संगठनों, वन आधारित उद्योगों या किसी अन्य स्वायत्तशासी संगठनों, जिनकी क्षेत्र के विकास में रूचि हो, का अंशदान भी है, और इसमें नियम 19 के अधीन प्राप्त आय भी सम्मिलित है ।

लेखे का संचालन

17. (1) नियम 16 में निर्दिष्ट निधि सम्बन्धित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में जमा की जायेगी और वह संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जायेगी ।

(2) खाते से समस्त आहरण, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के पूर्वानुमोदन से किये जायेगें और आहरित धनराशि और उपगत व्यय का विवरण वन उपयोगकर्ता समूह की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जायेगा ।

(3) व्यय उपगत करने और उसके लेखा की प्रक्रिया समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी ।

लेखा और लेखा—परीक्षा

18 (1) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और ~~सरकार के~~ निर्देशों के अनुसार लेखे का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी ।

(2) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के लेखे की लेखा परीक्षा, निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर की जायेगी ।

आय का प्रभाजन

19. (1) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का अंश इस प्रकार होगा –

(क) इमारती लकड़ी, बाँस और तेंदू पत्ता के मामले में, शुद्ध आय का 50 प्रतिशत ;

संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्रों से प्राप्त शुद्ध आय की गणना के लिये निम्न विधि अपनाई जायेगी :

(एक) निष्कासन, अपादान, एकत्रीकरण, भण्डारण, विपणन पर किये गये वास्तविक व्यय तथा अन्य अनुमन्य करों की गणना प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम और प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययोजना) उत्तर प्रदेश वन विभाग के परामर्श से की जायेगी।

(दो) उपरोक्त का निर्धारित प्रतिशत उपरिव्यय होगा।

(तीन) कुल व्यय उपरोक्तानुसार (एक) व (दो) का कुल योग होगा ।

विक्रय आगम में से उपरोक्त (तीन) में उल्लिखित धनराशि को घटा दिया जायेगा और शेष धनराशि को शुद्ध आय माना जायेगा । शुद्ध आय का पचास प्रतिशत सम्बन्धित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा । शेष पचास प्रतिशत् धनराशि रायल्टी मानी जायेगी, जो सरकार को देय होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि आपदाओं जैसे अग्नि, अधिक वृक्षों के सूखने, उखड़ने, कीड़ों के प्रकोप आदि से प्रभावित होकर भारी संख्या में पेड़ों के गिरने से हुई आय में से शुद्ध आय के मूल्य का केवल दस प्रतिशत, जिसकी अधिकतम् सीमा एक लाख रुपये तक होगी, सम्बन्धित संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को प्रभाजित किया जायेगा ।

प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भी, शुद्ध आय की गणना 19 (1) (क) के अनुसार की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि बाँस के क्षेत्रों में, यदि किसी कारणवश उत्तर प्रदेश वन निगम कार्य करने में असमर्थ रहता है, तो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति वन उपज के निष्कासन, अपादान,

एकत्रीकरण एवं विपणन का हकदार होगी तथा वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययोजना) उत्तर प्रदेश, वन विभाग द्वारा निर्धारित रायल्टी का भुगतान करेगी ।

विक्रय आगम से प्राप्त आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा ।

(ख) तेंदू पत्ते से भिन्न गैर इमारती लकड़ी वन उपज के मामले में एक प्रतीक धनराशि का निर्धारण समय समय पर प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययोजना) उत्तर प्रदेश, वन विभाग द्वारा रायल्टी के रूप में किया जायेगा, जो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा सरकार को देय होगी और शेष धनराशि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा की जायेगी ।

(ग) (एक) संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, औषधीय जड़ी बूटियों व तेंदू पत्ते से भिन्न गैर इमारती लकड़ी वन उपज का एकत्रीकरण, भण्डारण, प्रसंस्करण व विपणन करने का हकदार होगी। विक्रय आगम से प्राप्त शुद्ध आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा करके की जायेगी ।

(दो) औषधीय जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा, उत्तर प्रदेश वन निगम के पर्यवेक्षण में किया जायेगा और यथास्थिति, एकत्रीकरण, भण्डारण व प्रसंस्करण का भुगतान प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्ययोजना) वन विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दर पर संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जायेगा।

इन जड़ी बूटियों का विपणन उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जायेगा ।

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को एकत्रीकरण, भण्डारण व प्रसंस्करण हेतु भुगतान की गयी धनराशि तथा वन विभाग द्वारा विपणन किये गये व्यय को घटाते हुये विक्रय आगम से प्राप्त शुद्ध आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण उत्तर प्रदेश वन निगम औषधीय जड़ी बूटियों का विपणन करने में असमर्थ रहता है, तो संयुक्त वन प्रबन्ध समिति विपणन करने के लिये हकदार होगी । विक्रय आगम से प्राप्त आय को संयुक्त वन प्रबन्ध समिति

के खाते में जमा किया जायेगा ।

(2) नियम 19 के उप नियम (1) (क) के अनुसार संयुक्त वन प्रबन्ध समिति में जमा धनराशि का व्यय निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा —

(क) धनराशि के एक चौथाई भाग का वितरण वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों को किया जायेगा ;

(ख) धनराशि के एक चौथाई भाग का प्रयोग संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा बीज धनराशि के रूप में किया जायेगा ;

(ग) धनराशि का न्यूनतम एक चौथाई भाग ग्राम वन के प्रबन्ध के लिये व्यय किया जायेगा ;

अवशेष धनराशि को सामुदायिक कार्यों पर व्यय किया जा सकता है ।

(3) नियम 19 (1) (ख) के अनुसार प्रशमित की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा । संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का अंश संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा किया जायेगा ।

देयों की वसूली

20. इस नियमावली के अधीन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, ग्रामवासियों, अभिकरणों या किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय कोई धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

विद्यमान ग्राम वनों और संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों की प्रास्थिति

21. सभी विद्यमान वन जिन्हें उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 1997 के अधीन इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व संयुक्त वन प्रबन्ध के लिये लिया गया था, इस नियमावली के अधीन समितियों के गठन तक इस नियमावली के अधीन सम्यक् रूप से प्रतिष्ठित और कार्य कर रहे समझे जायेंगे । इस नियमावली के अधीन परिकल्पित सभी समितियाँ, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से तीन माह के भीतर उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 के अधीन संगठित की जायेंगी ।

संलग्नक— परिशिष्ट —1
परिशिष्ट 2

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव, वन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

सं०-2148(1)/14-5-2002-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उ०प्र० सरकारी असाधारण गजट दिनांक-28-12-2002 के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड ख में प्रकाशित करने व उसकी 1000 प्रतियाँ शासन को अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

2- समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०।

3- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।

4- समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र०।

5- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक/उप निदेशक, उ०प्र०।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

7- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट(विकास), उ०प्र०।

9- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन।

10- सचिव, कृषि विभाग, उ० प्र० शासन।

11- सचिव, ग्राम्य विकास, उ० प्र० शासन।

12- सचिव, उद्यान विभाग, उ० प्र० शासन।

13- निदेशक, कृषि विभाग, उ० प्र०।

14- निदेशक, उद्यान विभाग, उ० प्र०।

15- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम।

16- निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०।

17- समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,

([illegible])

विशेष कार्याधिकारी

प्रपत्र –1

करार

(नियम 3 देखिये)

ग्राम वन के लिये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के बीच करार,

आज दिनांक ....मास.................................सन् .... को एक पक्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और दूसरे पक्ष में...संयुक्त वन प्रबन्ध समिति (जिसे आगे लाभार्थी कहा गया है) के बीच यह करार किया गया । चूँकि लाभार्थी ने प्रभागीय वन अधिकारी (जिसे आगे वन अधिकारी कहा गया है) से निवेदन किया है कि अनुलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध करने के लिये सहमत है , और चूँकि वन अधिकारी ने ऐसी जाँच जैसी कि पर्याप्त और उचित समझी गयी, करने के पश्चात् अपना समाधान कर लिया है, और चूँकि वन अधिकारी और लाभार्थी ने संविदा करने के लिये नीचे दिये गये पारस्परिक आश्वासनों और वचनबद्धता से सहमत हो गये हैं, करार निम्न प्रकार साक्षित है :–

1–यह कि लाभार्थी अनुलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002 और समय–समय पर इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा जारी किये गये अन्य अनुदेशों के अनुसार प्रबन्ध करने के लिये सहमत है ।

2–यह कि यह करार इस संविदा पर हस्ताक्षर होने के दिनांक से पाँच वर्ष या लाभार्थी और वन अधिकारी दोनों की आपसी सहमति से बढ़ाई गई अग्रतर अवधि के लिये विधि मान्य रहेगा ।

3–यह कि लाभार्थी उसको आवंटित समस्त कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करने और स्वीकार करने और "उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002" के अधीन प्रतिषिद्ध किसी ऐसे क्रियाकलाप को न करने, का पालन करेगा ।

4—यह कि वन अधिकारी लाभार्थी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को वन प्रबन्ध तकनीक में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध या उसकी व्यवस्था करेगा ।

5—(एक) यह कि यदि लाभार्थी वन प्रबन्ध के लिये वन अधिकारी द्वारा जारी किये गये किन्हीं निर्देशों का या किसी ऐसे दायित्व का पालन करने में विफल रहता है जिसे निर्वहन के लिये लाभार्थी बाध्य है तो वन अधिकारी वन प्रबन्ध संबंधी किसी भी या समस्त कार्यों को स्वविवेक से विभागीय तौर पर करवायेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिये लाभार्थी को कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा : परन्तु इसके लिये पर्याप्त कारणों को उल्लिखित किया जायेगा और जिसे "उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002" के अधीन गठित प्रभागीय समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया जायेगा ।

(दो) यह कि यदि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति आवधिक रूप से इस नियमावली की धारा 18 (2) में उपबन्धित नियमों के अनुसार अपना लेखा आडिट नहीं कराती है, ऐसी स्थिति में यह प्रभागीय समिति द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु किसी प्रकार के व्यय का वहन संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते से किया जायेगा ।

6—यह कि यह करार किसी भी प्रकार भू–स्वामित्व को परिवर्तित नही करेगा और यह वैसा ही बना रहेगा जैसा कि इस करार को हस्ताक्षरित करने से पूर्व था ।

7—यह कि "उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2002," इस करार का एक भाग होगी । नियमावली की एक प्रति संलग्न है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर हमारे हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण/साक्ष्य के रूप में है कि हमने इसे शब्द रूप में और भाव रूप में सम्यक रूप से पढ़/समझ लिया है और हम इसमें दिये गये समस्त निबन्धनों और शर्तों को स्वीकार करते हैं ।

8—यह कि इस करार से किसी भी रूप में संबंधित सभी विवाद और मतभेदों को संबंधित वन संरक्षक की एक मात्र मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा । ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और इस करार के दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

9—जिसके साक्ष्य में इस करार के पक्षकारों ने इसके नीचे और इसमें इसके पश्चात क्रमशः उल्लिखित दिनांकों को अपने–अपने हस्ताक्षर किये और अपनी मुद्रा अंकित की है :

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

1–संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का नाम ....

2–जिला / प्रभाग ....

3–पुलिस थाना ....

4–ग्राम / डाकघर ....

5– रेंज ....

6–ग्राम वन की भूमि की विधिक प्रास्थिति ....

7–क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ....

8–सीमायें उत्तर.......................पूरब...............................

दक्षिण.......................पश्चिम...............................

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर			साक्षियों के हस्ताक्षर		
क्रम संख्या	नाम और पता	हस्ताक्षर	क्रम संख्या	नाम और पता	हस्ताक्षर

वन अधिकारियों के हस्ताक्षर

क्रम संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

(नियम 8 देखिये)

....के ग्राम वन की वार्षिक क्रियान्वयन योजना

....वित्तीय वर्ष के लिये

परिचय :

1– प्रभाग का नाम ....

2–उप प्रभाग का नाम ....

3–रेंज ....

4–बीट ....

5–संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का नाम ....

6–विकास खण्ड ....

7–तहसील ....

8–जिला ....

9–वर्ष ....के लक्ष्य

क्रम संख्या	कार्य विवरण	भौतिक	दर	प्रस्तावित व्यय	प्रस्तावित अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1–	वन सीमा का सीमांकन (किलोमीटर)					
2–	ग्राम वन क्षेत्र का सीमांकन (वर्ग किलोमीटर)					
3–	तेन्दु पत्ता संग्रह (मानक/ बोरा/ हेक्टेयर)					वन निगम
4–	आग पटिया सफाई (किलोमीटर)					
5–	गत वर्ष अप्रैल से जुलाई में तैयार की गई नर्सरी पौध का रख रखाव (लाख)					
6–	अग्रिम मृदा-कार्य क्षेत्र में					

	रोपण और रख रखाव गार्ड तक (हेक्टेयर) (एक) ईंधन / चारा (दो) इमारती लकड़ी (तीन) बाँस (चार) [illegible] (पांच) फलदार					
7–	आश्रय पूरक कार्य (हेक्टेयर)					
8–	अगले वर्ष रोपण के लिये नर्सरी पौध की तैयारी और गार्ड तक रख रखाव (लाख)					
9–	परिपक्व / चिन्हित, वृक्षों को गिराना					वन निगम
10–	[illegible] / कल्चरल कार्य					
11–	बाँस कटान (हेक्टेयर)					
12–	कटाई और प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए०एन०आर०) क्षेत्र का रख रखाव (हेक्टेयर)					
13–	साल / यूकेलिप्टस का पुल्प बनाना					
14–	कच्चा वन मार्ग का मरम्मत / निर्माण (किलोमीटर)					
15–	पुलिया निर्माण					
16–	भूमि / जल संरक्षण कार्य : (एक) पानी निकासी नाली (मीटर) (दो) बांध (संख्या / घनमीटर) (तीन) तालाब (चार) कुआँ खुदान (संख्या)					
17–	गत दो वर्षों के वृक्षारोपण का रख रखाव द्वितीय वर्ष रख-रखाव (हेक्टेयर)				—	

	[illegible] रख–रखाव ([illegible])					
[illegible]–	[illegible] कार्य करना ([illegible])					
19–	तेन्दू कल्चर कार्य करना (हैक्टेयर)					
20–	बायोगैस संयन्त्र स्थापित करना					
21–	वन का पुनरुद्धार–लैन्टाना आदि का काटना (हैक्टेयर)					
22–	प्रेशर कूकर, सोलर कूकर, उन्नत चूल्हे (संख्या)					
23–	पशुपालन, उन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (संख्या)					
24–	बागवानी, उन्नत फलदार प्रजाति के पौधों का वितरण					
25–	अन्य विभागों से समन्वय कर वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाना : (एक) मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण (दो) मत्स्य पालन (तीन) मधुमक्खी (चार) टसर / रेशम					
26–	अन्य कार्य					
27–	वार्षिक क्रियान्वयन योजना तैयार करने का दिनांक					

संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के
अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर

संख्या-252/14-5-2008

प्रेषक :

के. प्रवीन राव,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

वन अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2008

विषय : उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली-2002 के प्राविधानों के अनुसार वन उपज से प्राप्त आय का विभाजन।

महोदय,

संयुक्त वन प्रबन्ध व्यवस्था से राजकीय वनों के प्रबन्धन में ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली-2002 प्रख्यापित की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक के पत्र संख्या-312/पी.ए./36-टी-84 दिनांक 17-1-2008 के क्रम में उक्त नियमावली के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) उ.प्र. ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली-2002 को राजकीय वन क्षेत्र के अन्तर्गत लागू करने हेतु सीमाओं को चिन्हांकित करते हुए ग्राम वन को गठित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक को अधिकृत किया जाता है। इस गठन के बाद से वन उपज की हिस्सेदारी प्रारम्भ कर दी जाय। तदोपरान्त ग्राम वन के गठन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) विभिन्न योजनाओं यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य श्रोतों से वित्त पोषण के अन्तर्गत गठित विभिन्न संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों पर उक्त

नियमावलियों के प्राविधान उस सीमा तक लागू होंगे, जिस सीमा तक गठित समिति का कार्य क्षेत्र ग्राम वन के अन्तर्गत आता है।

(3) नियमावली के नियम 19 में संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्रों से वन उपज के विदोहन एवं वन उपज से प्राप्त होने वाली आय को ग्राम समुदाय एवं वन विभाग के मध्य बंटवारे हेतु स्पष्ट प्राविधान किये गये हैं। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। क्रियान्वयन प्रक्रिया संलग्नक में वर्णित है।

(4) वन उपज के विदोहन एवं बंटवारे के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा ग्राम वन घोषित होने के पश्चात् संयुक्त वन प्रबन्ध समिति एवं प्रभागीय वनाधिकारी के मध्य अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने की तिथि से ही संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को वन उपज के विदोहन एवं उससे प्राप्त होने वाली आय को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

भवदीय,

(के. प्रवीन राव)
विशेष कार्याधिकारी

संख्या-252(1)/14-5-2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख वन संरक्षक, उ. प्र., लखनऊ।
(2) प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ.प्र., लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. वन निगम, लखनऊ।
(4) समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
(के. प्रवीन राव)
विशेष कार्याधिकारी

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 के अन्तर्गत वन उपज के विदोहन एवं वन उपज से प्राप्त आय के विभाजन हेतु प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुरूप संयुक्त वन प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय के वितरण हेतु निम्न व्यवस्था अपनायी जाय :-

(1) संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्रों में विदोहन कार्ययोजना के प्राविधानों के अनुसार अनुमोदित सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से ही किया जाय। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम वन में उपलब्ध वन उत्पादों के सूची संधारित किया जाय एवं प्रत्येक क्षेत्र के सूक्ष्म नियोजन में विदोहन किए जा सकने योग्य वन उत्पादों का विस्तृत विवरण एक पंजिका में रखा जाय।

(2) संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्र में कार्ययोजना के प्राविधानों के अनुसार प्रकाष्ठ विदोहन, बांस एवं तेंदू पत्ता हेतु लाट बनाते समय निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जाय :-

अ- प्रत्येक संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्र के लिए वनोत्पादों यथा-प्रकाष्ठ,तेंदू पत्ता अथवा बांस (जैसी भी स्थिति हो) हेतु अलग-अलग लाट बनायी जाय। लाटों का अनुमानित मूल्य निर्धारण विभागीय प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

ब- उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा संयुक्त वन प्रबन्ध समिति हेतु देय शुद्ध आय को समिति के नाम व बैंक खाते में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जायेगा। ये ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित बैंक खाते का विवरण वन निगम को उपलब्ध कराया जाय।

(3) तेंदू पत्ता के अतिरिक्त अन्य गैर प्रकाष्ठ वन उत्पादों हेतु नियमावली के नियम संख्या-19(1)(ख) के अनुसार संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा वन

विभाग को प्रतीक धनराशि का भुगतान करेगी। शेष धनराशि संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा की जायेगी। प्रतीक धनराशि का निर्धारण नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(4) नियमावली के नियम संख्या-19-1(ग)(1) एवं 19-1(ग)(2) के अनुसार औषधीय पौधों का संग्रहण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश वन निगम के दिशा निर्देशन में संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त पर होने वाले व्यय का भुगतान, उ.प्र. वन निगम द्वारा समितियों को किया जायेगा। औषधीय पौधों का विपणन उ.प्र. वन निगम द्वारा किया जायेगा। विपणन से प्राप्त शुद्ध आय वन निगम द्वारा समितियों के खाते में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा।

उपरोक्त के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में उ.प्र. ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 का उल्लंघन न हो।